



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-261206/261515-7 Fax 0291-261206

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 577

दिनांक:- 22/12/2023

:-कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति जोन-4 (ले-आउट प्लान) की 39/2023 की बैठक दिनांक 22.12.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

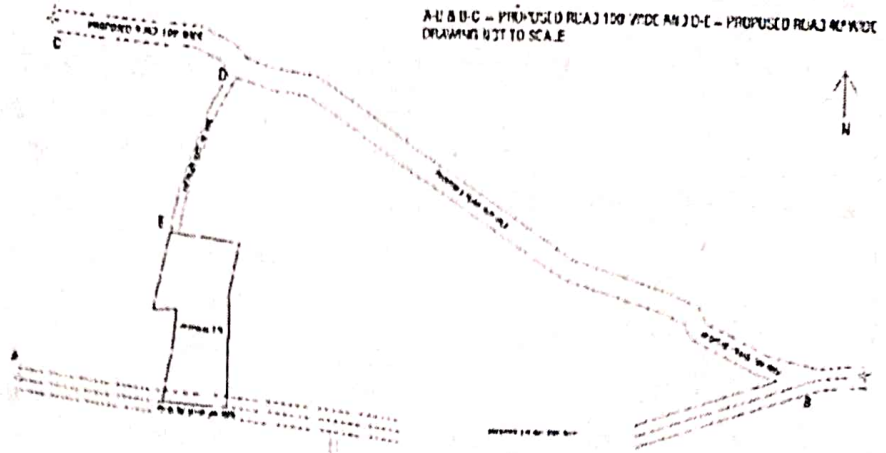
विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-4 की 34/2023 की बैठक दिनांक 14.12.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-4	मोकलावास	216 व 217/1	23503.09 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री सोहनलाल पुत्र श्री नथुराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 216 व 217/1 रकबा 23503.09 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 40 फीट रखी जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित मार्ग को 30 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। 3. उक्त निर्धारित 30 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोधपुरा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोधपुरा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।				

—d



4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
6. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-4	नारनाडी	532/6 व 532/11	4047 वर्गमीटर	Non Polluting Handicraft Industry एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री पोककरराम, श्री थानारान, श्री उज्जराम पुत्रान् श्री बीराराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 532/6 व 532/11 रकबा 4047 वर्गमीटर में Non Polluting Handicraft Industry एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि को दर्शाये गये पहुँच मार्ग पर गुगल मानचित्र अनुसार मौके पर अतिकमण				

(Signature)

है अतः वैकल्पिक पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-4	नारनाडी	971 / 239	1908 वर्गमीटर	Non Polluting Handicraft Industry एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री पप्पू सिंह पुत्र श्री चैन सिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 971 / 239 रकबा 1908 वर्गमीटर में Non Polluting Handicraft Industry एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में सेटबैक उपरान्त निर्माण योग्य क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होने के दौरान प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-4	धवा-प्रथम	2227 / 1093	3507 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री अन्नाराम पुत्र श्री मांगीलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम धवा-प्रथम के खसरा संख्या 2227 / 1093 रकबा 3507 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर रखी जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से आरक्षित रखी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

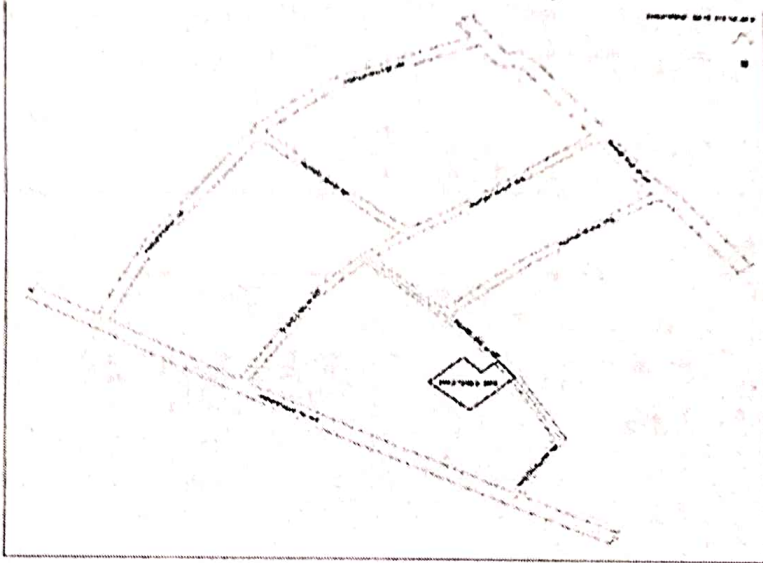


एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-4	गंगाणा	81	15.07.00 बीघा में से 02.01.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री पन्नाराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 81 रकबा 15.07.00 बीघा में से 02.01.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है अतः उक्त सड़क को यथासम्भव 40 फीट किये जाने हेतु आवश्यक भूमि निशुल्क समर्पित करवायी जावे। उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. प्रस्तावित योजना में दर्शित 30 फीट सड़क को 40 फीट दर्शाते हुए उक्त सड़क को योजना में निरन्तर किया जावे। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।				

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-4	बडलानगर	469/2 व 1323/469	8255.60 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री शेराराम मेंघवाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम बडलानगर के खसरा संख्या 469/2 व 1323/469 रकबा 8255.60 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport				

1	system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि उपलब्ध पहुँच मार्ग को 18 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। 2. उक्त निर्धारित 18 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर राडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय राडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।  3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
---	--

एजेण्डा संख्या 08 :-

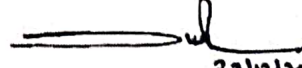
बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-4	गंगाणा	121/2	4896.53 वर्गमीटर	शैक्षणिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रमती शिल्पा बलारा पत्नी श्री रमेश बलारा				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 121/2 रकबा 4896.53 वर्गमीटर में शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				

1.	आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की 40 फीट रखी जावे एवम् उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
2.	मास्टर डवलपमेंट प्लान डी.सी.आर अनुसार Nursery/Primary School ही अनुज्ञेय है अतः अनुज्ञेय उपयोग अनुरूप ही पट्टा विलेख जारी किये जाने बाबत जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।
3.	प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मीके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शारती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शारती वसूल की जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्ण हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।
4.	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि रोकटर रोड निकलती है व आवेदित भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
5.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-4	लूणावास चारणान व खाटावास	लूणावास चारणान के खसरा संख्या 348/172, 349/172, 350/172 खाटावास के खसरा संख्या 461	09.10.00 बीघा	नॉन पॉल्यूटेड हैण्ड्रीकाप्ट इण्डस्ट्रीज
आवेदक	श्री सोहनलाल जांगिड पुत्र श्री राणाराम जांगिड वगैरह				
विषय:-	राजस्व ग्राम लूणावास चारणान व खाटावास, के खसरा संख्या लूणावास चारणान के खसरा संख्या 348/172, 349/172, 350/172 खाटावास के खसरा संख्या 461 रकबा 09.10.00 बीघा में नॉन पॉल्यूटेड हैण्ड्रीकाप्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में पूर्व में रिसोर्ट प्रयोजनार्थ आवेदन किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया गया था परन्तु पट्टा विलेख जारी नहीं किया गया था। आवेदक द्वारा 90/क उपरान्त भूमि का बेचान अन्य खातेदार को कर दिया गया है उक्त परिपेक्ष में जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया की 90/क उपरान्त खातेदारी अधिकार प्राधिकरण को समर्पित हो चुके है अतः खातेदार कृषि भूमि को बेचान करने को अधिकृत नहीं है एवम् प्राधिकरण से कोई अनापत्ति भी प्राप्त नहीं की गयी है। अतः उपरोक्त के परिपेक्ष में जोन स्तर पर भूमि के स्वामित्व बाबत टिप्पणी एवम् नियमानुसार 90/क आदेश में संशोधन उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

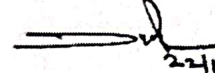
उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


 22/12/2023
 उप नगर नियोजक (द्वितीय)
 एवं सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 578-83 दिनांक:- 22/12/2023

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-4), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

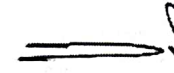

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति जोन-4 (ले-आउट प्लान) की 39/2023 की बैठक दिनांक 22.12.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (जोन-4) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव